दावा नं. 92/2022 प्रार्थना T.I. नं. 33/2022

राज. सरकार बनाम इन्तजार वगै. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03-03-2023 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.नं. 1964/1626 रकबा 0.12 हैक्ट. ग्राम ओजावाला तह. बांदीकुई नगरपालिका बांदीकुई की सीमा की आबादी में स्थित है। पट्टा बनवाने हेतु अप्रार्थी ने नगरपालिका में पत्रावली नियमन हेतु पेश की हुई है लेकिन माननीय न्यायालय से स्थगन होने बाबत जमाबंदी में नोट अंकित है जिसके कारण भूमि नियमन पट्टा बनवाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर जारी स्थगन नोट हटाने की न्यायहित में कृपा करें। हमने अप्रार्थी जवाब एवं विचाराधीन प्रकरण संलग्न राजस्व जमाबंदी का अवलोकन किया। विवादित भूमि नगरपालिका बांदीकुई सीमा में स्थित है। जिसमें पट्टा नियमन हेतु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नियमन में पत्रावली में स्थगन होने से बाधा उत्पन्न होना प्रकट है। उपरोक्त विवेचन से विवादित भूमि नगरपालिका क्षेत्राधिकार में होने से नियमन प्रक्रिया में स्थगन के कारण उत्पन्न व्यवधान के मद्देनजर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। साथ ही प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई	[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

कार्यालय तहसील

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज. का

उनवान– राजस्थान सरकार बनाम दय

भोज्यावाला बॉंदीकुई जागीर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज. काश्तकारी
के समक्ष प्रस्तुत है। जिसमें वादी को सफलता व
प्रकार है–

1. ग्राम भोजयावाला पटवार हल्का बांदीकुई जागी
ख. नं. 1964 /1626 रकबा 0.12 हैक्ट. किस्
नाम दर्ज रिकार्ड है।
2. यह है कि भू–अभिलेख निरीक्षक बॉंदीकुई एवं
2022 को ग्राम भोज्यावाला पटवार हल्का बॉंदी
सं. 18 के ख. नं. 1964/1626 रकबा 0.12
मंजिला आई.टी.आई. भवन पुख्ता चद्दर व ग्रा
आई.टी.आई. नाम संस्था संचालित कर भूमि
कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ काम में ली जा रह
स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर को कृषि भूमि
भूमि का स्वरूप बिगाड दिया है। खातेदार द्वार
का उल्लंघन किया है। अतः खातेदार की खात
कर खातेदारी भूमि को सिवायचक घोषित किया

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट
1955 की धारा 177 के तहत हानिप्रद कार्य ए
शास्ती का दायी व भागीदार है। जिससे यह प्रा
प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195
है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम भोज्यावाला
खातेदारी भूमि खाता सं. 18 के ख. नं. 1964/
राजस्व रिकार्ड मौका व रिकार्ड की यथास्थिति
अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने की कृपा करे

Scanned with OKEN Scanner